हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/1/18 उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 1-2-18 को पेश हो। रीडर	
1/2/18 वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8-2-2018 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	
8/2/18 वकील वादी उपस्थित। वादी का दावा डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर कलेक्टर मुकाम बामनवास

इजलास रामकिशोर मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. गोपाल पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति धोबी, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
2. गील्या पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति धोबी, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
3. बाबू पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति धोबी, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
4. सुक्या उर्फ सुखलाल पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति धोबी, लिवाली, तहसील बामनवास
5. कैलाश पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति धोबी, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास

–वादीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र कन्हैयालाल, जाति जैन, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
2. ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल, जाति जैन, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
3. महावीर पुत्र कन्हैयालाल, जाति जैन, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
4. जिनेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल, जाति जैन, निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
6. घमसू पुत्र मांग्या, जाति गूर्जर, निवासी ककराला, तहसील बामनवास –प्रतिवादीगण

दावा बावत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –30 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई – मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है –

वाद वादी डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 16 रकबा 0.37 हेक्टर, 17 रकबा 0.31 हेक्टर, 28 रकबा 0.14 हेक्टर, 29 रकबा 0.19 हेक्टर, 31 रकबा 0.21 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.22 हेक्टर वाके ग्राम गोठड़ा, खसरा नंबर 30 रकबा 0.61 हेक्टर तथा खसरा नंबर 14 रकबा 0.23 हेक्टर, 18 रकबा 0.17 हेक्टर, 19 रकबा 0.12 हेक्टर, 20 रकबा 0.06 हेक्टर, 21 रकबा 0.19 हेक्टर स्थित ग्राम गोठड़ा तहसील बामनवास का वादीगण गोपाल, गील्या, बाबू, सुक्या उर्फ सुखलाल, कैलाश पि0 लाद्या उर्फ लादू जाति धोबी निवासी लिवाली को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रकरण में रिसीवराधीन भूमि खसरा नंबर 16 रकबा 0.37 हेक्टर, 17 रकबा 0.31 हेक्टर, 28 रकबा 0.14 हेक्टर, 29 रकबा 0.19 हेक्टर, 31 रकबा 0.21 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.22 हेक्टर ग्राम गोठड़ा को बागुजास्त किया जाता है एवं तहसीलदार, बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि रिसीवराधीन भूमि का कब्जा वादीगण को संभलावें साथ ही नीलामी से जमा राजकोष की गई राशि का नियमानुसार वादीगण को भुगतान करें।

आज पर्चा डिक्री आज दिनांक– 8-2-2018 को जारी किया गया।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स0 मा0)

(रामकिशोर मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		